



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2019/आषाढ़ 25, 1941

No. 204]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2019/ASHADHA 25, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2019

सं. जेड-28020/11/2019-एएचएस.—केंद्र सरकार, फार्मसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 3 के तहत भारतीय भेषज परिषद की अनुशंसा पर यह निर्णय लेते हैं कि फार्म डी. अर्हता उच्च अर्हता होने के परिणामस्वरूप उक्त अर्हताधारी कोई भी व्यक्ति उन विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु स्वतः पात्र होगा, जिन पदों के लिए फार्मसी में डिप्लोमा या फार्मसी स्नातक अथवा फार्मसी निष्णात अर्हताधारी आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।

सुधांश पन्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2019

No. Z-28020/11/2019-AHS.—The Central Government, on the recommendations of the Pharmacy Council of India constituted under Section 3 of Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), decided that a person holding the Pharm. D qualification being higher qualification shall automatically become eligible for appointment to various posts where a person holding Diploma in Pharmacy or Bachelor of Pharmacy or Master of Pharmacy qualification is eligible to be appointed.

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.